भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 111

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

बैंक धोखाधड़ी में वृद्धि

111. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में आठ गुना वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या और इसमें शामिल राशि सहित तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्राहक ऑनबोर्डिंग और लेनदेन निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ किस प्रकार समन्वय किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और **(ख)**: जी, नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी के आंकड़ों के अनुसार, घटना की तारीख के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 3,22,473 थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 1,25,293 थी। इस प्रकार, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर धोखाधड़ी की संख्या में 61.15% की गिरावट हुई।

(ग): अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश में यह अधिदेश दिया गया है कि बैंकों सहित सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) में अपनी बोर्ड अनुमोदित केवाईसी नीति होनी चाहिए, जिसमें, *अन्य बातों के साथ-साथ* ग्राहक को शामिल करने और उसके लेन-देन की निगरानी प्रक्रियाएं शामिल हों। इसके अतिरिक्त, आरई को संदिग्ध लेनदेन प्रक्रिया की प्रभावी पहचान करने और उसकी रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है जो लेन-देनों का जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल के साथ असंगत होने पर अलर्ट उत्पन्न करने में सक्षम हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन विनियमों के अनुपालन की निरंतर निगरानी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैंकों को सुदृढ़ आंतरिक लेखा परीक्षा एवं नियंत्रण, पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) तथा खातों की रेड फ्लैगिंग, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को समय पर रिपोर्ट करना, आंकड़ा विश्लेषण तथा बाजार आसूचना एकक को रखने का भी अधिदेश दिया है।

इसके अतिरिक्त, विनियमित संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संदिग्ध लेन-देनों के साथ-साथ पीएमएल नियमावली, 2005 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेनदेनों की सूचना वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू) को रिपोर्ट करें। बदले में, एफआईयू ऐसी सूचना राष्ट्रीय आसूचना/विधि प्रवर्तन एजेंसियों, राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों और विदेशी एफआईयू के साथ साझा करता है। यह धन शोधन और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय खुफिया सूचना के संग्रह और साझाकरण को भी समन्वित और सुदृढ़ करता है।

*****